



अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में कला संकायान्तर्गत अंग्रेजी विषय के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन (संवीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है।

28 (2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :
कोई नहीं

(दो) महाविद्यालयों में से महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

- (1) डॉ. एस. एन. पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
- (2) डॉ. आराधना गोस्वामी
सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी
शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
चिरमिरी जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य
कोई नहीं

(चार) महाविद्यालयों में से महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

- (1) डॉ. जेवियर कुजुर
सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी
स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
- (2) श्री शिवाकान्त ईजारदार
सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी
अरुण प्रताप सिंहदेव शासकीय महाविद्यालय, शंकरगढ़
जिला-बलारामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)



**SANT GAHIRA GURU VISHWA VIDYALAYA, SARGUJA
AMBIKAPUR (C.G.)**

Established and Incorporated by Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Amendment) Act No.18/2008
Email: sgguconf@yahoo.com

Mob: 7000683412-222789,90

No. /Conf./Pract./2024

Date: 01/02/2024

CODE No. P-BOT-03

To,

Smt. Annmeri Xalxo
Asstt. Professor Botany
Govt. Science College, Ambikapur
Dist. Surguja (C.G.)
Mob. No.-8889991860

Sir/Madam,

I have to inform you that you have been appointed as External Examiner to conduct the Practical/Viva-Voce Examination (Dec.-Jan.) 2023-24 in Botany at the Department/College mentioned below in collaboration with the Internal Examiner:

Name of Examination	Name of Department/College	Batch No.	Internal Examiner
M.Sc. III Semester	Govt. Rajmohini Devi Girls P.G. College, Ambikapur Dist. Surguja (C.G.)	All	To be appointed by the Principal.

1. Kindly send your acceptance immediately on receipt of this letter
2. in the enclosed form.
2. Kindly fix the date of the Practical Examination in consultation with Internal Examiner and also the Principal of College concerned and communicate the same to me as it is fixed.
3. Such date may kindly be fixed so that Practical Examination may be completed up to 28.02.2024

Encl:

1. Form of Acceptance
2. Envelope for sending Acceptance
3. Instructions (Please see page 2)

Your's Faithfully

Registrar

Encl. No. 343-f/Conf./Pract./2024

Date: 01/02/2024

1. Copy forwarded to :-
2. The Principal, Govt. Rajmohini Devi Girls P.G. College, Ambikapur Dist. Surguja (C.G.) for information and necessary action. He is requested to kindly inform the candidates about the dates of Practical Examination as soon as these have been finalized and to make arrangement for practical examination.

Encl:

1. Examiners Report & Remuneration Bill.
2. T.A. Bill with Certificate.
Envelopes for sending Foils/Counter Foils of Marks.

OSD (Confidential)



अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में कला संकायान्तर्गत हिन्दी विषय के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन (संवीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है।

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :
कोई नहीं

(दो) महाविद्यालयों में से महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

- (1) डॉ. विनय कुमार शुक्ला
सहायक प्राध्यापक हिन्दी
शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया (छ.ग.)
- (2) डॉ. राम किंकर पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक हिन्दी
शासकीय लाहिडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
चिरमिरी जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य
कोई नहीं

(चार) महाविद्यालयों में से महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

- (1) डॉ. नीलाभ कुमार
सहायक प्राध्यापक हिन्दी
स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
- (2) श्री डी. पी. साहू
सहायक प्राध्यापक हिन्दी
शासकीय महाविद्यालय, लखनपुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :

- (1) श्री अजय कुमार तिवारी
सहायक प्राध्यापक हिन्दी
शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
- (2) डॉ. जुगल किशोर कुजुर
सहायक प्राध्यापक हिन्दी
शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,
सीतापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(छः) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हतायें रखता हो जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा बाद में प्रस्तावित किया जायेगा।

(सात) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :
बैठक के समय सहयोजित किये जावेंगे।

28.(3) माननीय कुलपति जी द्वारा डॉ. विनय कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया (छ.ग.) को उप धारा (2) के खण्ड (दो) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28 (4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

आदेशानुसार

कुलपति

पृ. क्रमांक/568/अकादमिक/अध्ययन बोर्ड/2023

अम्बिकापुर, दिनांक .08.2023

प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. डॉ. राम कुमार मिश्र, (संकायाध्यक्ष कला संकाय), प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
3. समस्त संबंधित सदस्यगण
4. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
5. उप कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
7. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी., संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
8. कार्यालयीन नस्ती।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा (छ.ग.)

C-01

गोपनीय

प्राश्निक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

प्रेषक:

कुलसचिव
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774 -222790
गोपनीय विभाग : 07774 -222789
फैक्स : 07774 -222790

कोड नं.- AA-232550

सेवा में,

Dr. Nilabh Kumar
Asth. Professor Hindi
Swami Atmanand Govt. College, Ambikapur
Dist. Surguja (C.G.)

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक 28.11.2023

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2023 की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं। निर्मेय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम- M.A. IN HINDI (FIRST SEMESTER)
(ख) विषय का नाम- SANT KAVI KABIRDAS
(ग) प्रश्न पत्र-
(घ) समय- तीन घण्टे
(ङ.) पूर्णांक- 070 न्यूनतम उत्तीर्णांक- 28
- इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्न पत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने के कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी परिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपयाउक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(कृ.प.उ.)

7. प्राशिनकों से विशेष अनुरोध है कि वे निम्नलिखित सावधानी बतें—
 - (क) प्रश्नपत्रों में शीर्ष टिप्पणियों तथा पत्रों की परिभाषा अस्पष्ट या द्विविधाजनक न हो।
 - (ख) कोई प्रश्न निहित पाठ्यक्रम की सीमा का अतिक्रमण न करें। प्रश्नों की लिपि मुख्यतः पारिभाषिक शब्दावली में तथा सुवाच्य हो।
 - (ग) प्रश्नों में निर्धारित अंकों का योग पूर्णांक के बराबर हो।
 - (घ) परीक्षार्थियों को कितने और कैसे प्रश्न करने हैं इस बात की सूचना प्रश्नपत्र में दें।
8. प्रश्न पत्र दिनांक **10.12.2023** तक मुझे अवश्य मिल जाय। कृपया वाहक को देने की कृपा करें।
9. यदि आपका कोई निकट सम्बन्धी अथवा आश्रित उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो जिसमें आपको प्राशिनक/परीक्षक नियुक्त किया गया है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री तुरन्त वापस कर दें।
The term close relation includes Wife, Husband, Son-in-Law, Daughter-in-law, Sister-in-law etc.
10. प्रश्नपत्र भेजते समय अन्दर तथा बाहर के दोनों प्रच्छदों (लिफाफे) को विधिवत सील बन्द किया जाय। जो प्रच्छद (लिफाफे) इस प्रकार सील बन्द न होंगे, उनके प्रश्नपत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
11. यदि आप नियमानुसार प्रश्न पत्र रचना की पात्रता नहीं रखते तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री वापस भेज दें। यदि संदेहास्पद स्थिति हो तो भी प्रश्नपत्र रचना के पूर्व नियमानुकूलता का स्पष्टीकरण इस कार्यालय से प्राप्त कर लें।
12. स्वीकृत प्रश्नपत्रों पर विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित माना जायेगा।
13. आपसे निवेदन है कि नियुक्ति को अत्यंत गोपनीय रखें और विश्वविद्यालय से सभी पत्र व्यवहार अनुक्रमांक **J24** के द्वारा मेरे पते पर करें।

भवदीय
कुलसचिव/उप कुलसचिव

संलग्न सामग्री :

1. प्राशिनक एवं परीक्षकों को निर्देश
2. पाठ्यक्रम जिसके आधार पर प्रश्नपत्रों की रचना होगी।
3. गत वर्ष का प्रश्नपत्र
4. प्रश्न लिखने के लिए कोरा कागज 10 पन्ने (दो पर्णावलियाँ होगी) प्रत्येक पर्णावली में 1 "क" पन्ना 9 "ख" पन्ने होंगे
5. स्वीकृति प्रपत्र
6. स्वीकृति पत्र भेजने का प्रच्छद (लिफाफा)
7. घोषणा प्रमाण-पत्र।
8. पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों के संदर्भ अंकित करने के लिए कागज (भाषा एवं गणित के प्राशिनकों के लिए)
9. प्रश्न पत्र भेजने के लिए प्रच्छद (लिफाफे के अन्दर तथा बाहर का)
10. पारिश्रमिक देयक।

नोट:—

1. कृपया विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार अपने अनुक्रमांक के द्वारा ही करें।
2. यदि संरचित प्रश्नपत्र से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकायें प्राप्त न हों तो प्राशिनक को प्रश्न पत्र की संरचना के पारिश्रमिक की पात्रता है।
अतः संलग्न देयक संरचना के पारिश्रमिक हेतु प्रस्तुत करें।
3. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
4. किसी शंका या कठिनाई के लिये कृपया **मोबाईल नं. 9406034527** कुलसचिव या **7049804500, 8871651803** विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा (छ.ग.)

प्राशिनक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

C-01

गोपनीय

प्रेषक:

कुलसचिव
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774 -222790
गोपनीय विभाग : 07774 -222789
फैक्स : 07774 -222790

कोड नं.- M-259

सेवा में,

Dr. Sushil Kumar Kashyap
Govt. Science College, Ambikapur
Dist. Surguja (C.G.)


महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक 16.02.2024

1. सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2024 की परीक्षा के प्राशिनक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं। निर्मेय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम- B.Sc - III (NEW)
(ख) विषय का नाम- Information Technologies
(ग) प्रश्न पत्र- Paper - II Fundamental Data Structure
(घ) समय- तीन घण्टे
(ङ) पूर्णांक- न्यूनतम उत्तीर्णांक-
2. इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राशिनक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। **कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।**
3. नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने के कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
4. परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी परिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी परिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
5. भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
6. यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपयाउक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(कृ.प.उ.)

7. प्राशिनकों से विशेष अनुरोध है कि वे निम्नलिखित सावधानी बर्ते—
 (क) प्रश्नपत्रों में शीर्ष टिप्पणियों तथा पत्रों की परिभाषा अस्पष्ट या द्विविधाजनक न हो।
 (ख) कोई प्रश्न निहित पाठक्रम की सीमा का अतिक्रमण न करें। प्रश्नों की लिपि मुख्यतः पाठ्य शब्दावली में तथा सुवाच्य हो।
 (ग) प्रश्नों में निर्धारित अंकों का योग पूर्णांक के बराबर हो।
 (घ) परीक्षार्थियों को कितने और कैसे प्रश्न करने हैं इस बात की सूचना प्रश्नपत्र में दें।
8. प्रश्न पत्र दिनांक **28.02.2024** तक मुझे अवश्य मिल जाय। कृपया वाहक को देने की कृपा करें।
9. यदि आपका कोई निकट सम्बन्धी अथवा आश्रित उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो जिसमें आपका प्राशिनक/परीक्षक नियुक्त किया गया है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री तुरन्त वापस कर दें।
 The term close relation includes Wife, Husband, Son-in-Law, Daughter-in-law, Sister-in-law etc.
10. प्रश्नपत्र भेजते समय अन्दर तथा बाहर के दोनों प्रच्छदों (लिफाफे) को विधिवत सील बन्द किया जाय। उ प्रच्छद (लिफाफे) इस प्रकार सील बन्द न होंगे, उनके प्रश्नपत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
11. यदि आप नियमानुसार प्रश्न पत्र रचना की पात्रता नहीं रखते तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री वापस भेज दें। यदि संदेहास्पद स्थिति हो तो भी प्रश्नपत्र रचना के पूर्ण नियमानुकूलता का स्पष्टीकरण इस कार्यालय से प्राप्त कर लें।
12. स्वीकृत प्रश्नपत्रों पर विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित माना जायेगा।
13. आपसे निवेदन है कि नियुक्ति को अत्यंत गोपनीय रखें और विश्वविद्यालय से सभी पत्र व्यवहार अनुक्रमांक के द्वारा मेरे पते पर करें।

भवदीय

 कुलसचिव/उप कुलसचिव

संलग्न सामग्री :

1. प्राशिनक एवं परीक्षकों को निर्देश
2. पाठ्यक्रम जिसके आधार पर प्रश्नपत्रों की रचना होगी।
3. गत वर्ष का प्रश्नपत्र
4. प्रश्न लिखने के लिए कोरा कागज 10 पन्ने (दो पर्णावलियाँ होगी) प्रत्येक पर्णावली में 1 "क" पन्ना 9 "ख" पन्ने होंगे
5. स्वीकृति प्रपत्र
6. स्वीकृति पत्र भेजने का प्रच्छद (लिफाफा)
7. घोषणा प्रमाण-पत्र।
8. पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों के संदर्भ अंकित करने के लिए कागज (भाषा एवं गणित के प्राशिनकों के लिए)
9. प्रश्न पत्र भेजने के लिए प्रच्छद (लिफाफे के अन्दर तथा बाहर का)
10. पारिश्रमिक देयक।

नोट:-

1. कृपया विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार अपने अनुक्रमांक के द्वारा ही करें।
2. यदि संरचित प्रश्नपत्र से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकायें प्राप्त न हों तो प्राशिनक को प्रश्न पत्र की संरचना के पारिश्रमिक की पात्रता है।
 अतः संलग्न देयक संरचना के पारिश्रमिक हेतु प्रस्तु करें।
3. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
4. किसी शंका या कठिनाई के लिये कृपया मोबाईल नं. **9406034527** कुलसचिव या **7049804500** **8871651803** विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा (छ.ग.)

प्राश्निक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

C-01

गोपनीय

प्रेषक:

कुलसचिव
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774 -222790
गोपनीय विभाग : 07774 -222789
फैक्स : 07774 -222790

कोड नं.- M-187

सेवा में,

Miss. Madhulika Kujur
Department of Microbiology
Govt Science College, Ambikapur
Sarguja (C.G.)

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक 23.02.2024

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2024 की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं। निर्मेय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
 - परीक्षा का नाम- BSc -I (OLD)
 - विषय का नाम- Microbiology
 - प्रश्न पत्र- Paper - I General Microbiology
 - समय- तीन घण्टे
 - पूर्णांक- न्यूनतम उत्तीर्णांक-
- इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्त के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने के कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेत्तर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी परिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी परिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेत्तर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न है। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(कृ.प.उ.)

7. प्राशिनकों से विशेष अनुरोध है कि वे निम्नलिखित सावधानी बर्तें—
- (क) प्रश्नपत्रों में शीर्ष टिप्पणियों तथा पत्रों की परिभाषा अस्पष्ट या द्विविधाजनक न हो।
- (ख) कोई प्रश्न निहित पाठक्रम की सीमा का अतिक्रमण न करें। प्रश्नों की लिपि मुख्यतः पारिभाषिक शब्दावली में तथा सुवाच्य हो।
- (ग) प्रश्नों में निर्धारित अंकों का योग पूर्णांक के बराबर हो।
- (घ) परीक्षार्थियों को कितने और कैसे प्रश्न करने हैं इस बात की सूचना प्रश्नपत्र में दें।
8. प्रश्न पत्र दिनांक **09.03.2024** तक मुझे अवश्य मिल जाय। कृपया वाहक को देने की कृपा करें।
9. यदि आपका कोई निकट सम्बन्धी अथवा आश्रित उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो जिसमें आपको प्राशिनक/परीक्षक नियुक्त किया गया है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री तुरन्त वापस कर दें।
- The term close relation includes Wife, Husband, Son-in-Law, Daughter-in-law, Sister-in-law etc.
10. प्रश्नपत्र भेजते समय अन्दर तथा बाहर के दोनों प्रच्छदों (लिफाफे) को विधिवत सील बन्द किया जाय। जो प्रच्छद (लिफाफे) इस प्रकार सील बन्द न होंगे, उनके प्रश्नपत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
11. यदि आप नियमानुसार प्रश्न पत्र रचना की पात्रता नहीं रखते तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए समस्त संलग्न सामग्री वापस भेज दें। यदि संदेहास्पद स्थिति हो तो भी प्रश्नपत्र रचना के पूर्व नियमानुकूलता का स्पष्टीकरण इस कार्यालय से प्राप्त कर लें।
12. स्वीकृत प्रश्नपत्रों पर विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित माना जायेगा।
13. आपसे निवेदन है कि नियुक्ति को अत्यंत गोपनीय रखें और विश्वविद्यालय से सभी पत्र व्यवहार अनुक्रमांक के द्वारा मेरे पते पर करें।

भवदीय

कुलसचिव / उप कुलसचिव

संलग्न सामग्री :

1. प्राशिनक एवं परीक्षकों को निर्देश
2. पाठ्यक्रम जिसके आधार पर प्रश्नपत्रों की रचना होगी।
3. गत वर्ष का प्रश्नपत्र
4. प्रश्न लिखने के लिए कोरा कागज 10 पन्ने (दो पर्णावलियाँ होगी) प्रत्येक पर्णावली में 1"क" पन्ना 9 पन्ने होंगे
5. स्वीकृति प्रपत्र
6. स्वीकृति पत्र भेजने का प्रच्छद (लिफाफा)
7. घोषणा प्रमाण-पत्र।
8. पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों के संदर्भ अंकित करने के लिए कागज (भाषा एवं गणित के प्राशिनकों के लिए)
9. प्रश्न पत्र भेजने के लिए प्रच्छद (लिफाफे के अन्दर तथा बाहर का)
10. पारिश्रमिक देयक।

नोट:-

1. कृपया विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार अपने अनुक्रमांक के द्वारा ही करें।
2. यदि संरचित प्रश्नपत्र से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त न हों तो प्राशिनक को प्रश्न पत्र की संरचना के पारिश्रमिक की पात्रता है।
अतः संलग्न देयक संरचना के पारिश्रमिक हेतु प्रस्तुत करें।
3. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
4. किसी शंका या कठिनाई के लिये कृपया मोबाईल नं. **9406034527** कुलसचिव या **7049804500, 8871651803** विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।

परीक्षक का नियुक्ति पत्र
(उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति

Dr. Madhulika Kujur.

Dept. of Microbiology

S. A. G. E. M. M. C

Aulikapu.

AA 234680

AA 234678

42 + 14 = 56

03 + 01 = 04

विश्वविद्यालय महोदय,

समस्त विद्यार्थी न आकर कोड उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पर्ण/प्रतिपर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता है। पर्ण/प्रतिपर्ण के दिनांक एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के वण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए। प्रत्येक कोड का पर्ण/प्रतिपर्ण तथा वण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

मूल्यांकन हेतु प्रायः उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा अधिक सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के वण्डल सुरत वापस कर दें। निकट संबंधी का अर्थ निम्नानुसार है।
The term close relation includes Wife, Husband, Son Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand Nephew, Grnd Niece, Aunt, First Cousin, Son-in-law, Daughter-in-law, Brother-in-law etc.

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से विधिवत रूप से अन्तर उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण एक साथ आवश्यक रूप से लिखा जाए।
2. निकट वण्डल में किसी उत्तरपुस्तिका भी होना आवश्यक विषय, परन्तु, वे उत्तरपुस्तिका न हो तो किसी निकट वरिष्ठविद्यालय की अलग से पत्र के साथ वापस करने की आवश्यकता है।
3. पारिश्रमिक वेधक के साथ मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक वेधक का भुगतान किया जायेगा।
4. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्रश्नपत्रों को अलग-अलग पर्ण/प्रतिपर्ण में किया जाए एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही वण्डल में वापस कर भेजना है। पर्ण/प्रतिपर्ण के दिनांक एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के वण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाए।
5. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाएँ जामने हेतु बिली हैं, उनके अंक पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमिक आर्यदित किये गये हैं ऐसी उत्तरपुस्तिका के सप्ताह केन्द्रवार अलग में अंकित करें।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं से अनुक्रमिक सही एवं क्रमवार क्रम से पर्ण/प्रतिपर्ण में चढ़ाये गये हैं।
7. तैयार किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण के अंत में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
8. प्रत्येक केन्द्र के अंत में अनुपस्थित अनुक्रमिक एवं अनुचित साधन के अनुक्रमिकों को शकित से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
9. पर्ण/प्रतिपर्ण के दिनांक एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रहा है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वयं सम्पादित किया जाए। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गैरपुनर्पत्रा भंग होने अथवा फेरवदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
10. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का वण्डल यदि कम्प्यूटरि न जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
11. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का शकित अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इतका पर्ण/प्रतिपर्ण भी अलग से भेजें। किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
12. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
13. किसी शिका या कठिनाई के लिए कृपया सहायक नं. 7000528577 में कुलसचिव या उप कुलसचिव 7000633412, मोबा 8671651861 से विधि सम्बन्धी अधिकारी (संशोधन) से सम्पर्क करें।

(Signature)
उप कुलसचिव
संत गांधीरा गुरु विश्वविद्यालय, रासगुजा
अम्बिकापुर (छत्ता)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय राजकुमार धीरज सिंह, महाविद्यालय
उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

यूजीसी से 2 (F) मान्यता, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर से संबद्ध

COLLEGE CODE- 3405 "NAAC द्वारा मूल्यांकित - B ग्रेड" (2.18 CGPA) टेलीफोन नं०- 07774-251272

Website: govtrdscollegeudaipur.in

Email ID govtrdscollegeudaipur01@gmail.com

क्रमांक: 14 / प्रायो. परीक्षा / 2024

उदयपुर दिनांक 19 / 04 / 2024

प्रति,

Miss. Madhulika Kujur
Dept of Microbiology
Swami Atmanand Govt. English Medium Model College, Ambikapur
Dist. Surguja (C.G.)

महोदय,

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक 4628 / Conf./Pract./2024 के अनुसार आपको कक्षा **B.Sc. Part - III** विषय माईक्रोबायोलॉजी की प्रायोगिक परीक्षा 2023-24 हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु आप दिनांक 03/05/2024 को प्रातः 08:30 बजे महाविद्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें। आपको नियमानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

Ravi

विभागाध्यक्ष

Head Deptt. of Microbiology
Govt. R.D.S. College Udaipur
Distt. Surguja (C.G.)

प्र. 19

प्राचार्य
शास. राजकुमार धीरज सिंह, महाविद्यालय
उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)
महाविद्यालय-उदयपुर (छ.ग.)
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

पृ. क्र. 19 2024

प्रतिलिपि:-

1. कुल सचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)
2. प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मिडियम मॉडेल कॉलेज अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

उदयपुर, दिनांक 19 / 04 / 2024

प्र. 19

प्राचार्य
शा. राजकुमार धीरज सिंह
महाविद्यालय-उदयपुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)